न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 164/2013 निर्णय दिनांक:20.07.2022

1. सरोजकंवर पत्नी दरम्भूसिंह 2. श्रवणकंवर पत्नी माधोसिंह	जाति राजपूत निवासीगण कितासर बिदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार साहब, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

2. प्रेमकंवर 3. ओमकंवर 4. संतोषकंवर 5. विनोद कंवर 6. मुन्नीकंवर	पुत्रियां अड़ीसालसिंह जाति राजपूत निवासी कीतासर बीदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर ।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–
1. श्री महेन्द्र मान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ता 6
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम 1956</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 45 तादादी 13 बीघा 5 बिस्वा वाकेरोही शीतलनगर में स्थित है। उक्त खेत में 1 / 3 हिस्सा की खातेदारी पूर्व में किशनादेवी पत्नी जीवराजसिंह जाति राजपूत व 2/3 हिस्सा की खातेदारी अमानी पुत्री नथूसिंह व हनुमानसिंह दत्तक पुत्र नथूसिंह के नाम से थी। इन्तकाल संख्या 187 दिनांकित 20.12.2005 के जरिये उक्त खेत खसरा नम्बर 45 की खातेदारी किशनादेवी अकेली को प्राप्त हो गई। किशनादेवी ने उक्त खेत को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र प्रार्थीगण को दान कर दिया जिस पर इन्तकाल संख्या 197 दिनांकित 20.09.2012 के द्वारा प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज हुई। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 45 के उतरी तरफ खसरा नम्बर 42 का चक तथा दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 46 स्थित, पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 87 व पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 44 स्थित है। सेटलमेन्ट सम्वत् 2061 के दौरान खसरा नम्बर 42 के नये खसरा नम्बर 45, खसरा नम्बर 46 के नये खसरा नम्बर 52,

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

खसरा नम्बर 87 के नये खसरा नम्बर 97 तथा खसरा नम्बर 44 के नये खसरा नम्बर 48 कायम हो गये तथा प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 45 के नये खसरा नम्बर 49 कायम कर दिए गये । खसरा नम्बर 46 जिसके नये खसरा नम्बर 52 है की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के नाम से है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 45 (पुराना) जिसके नये खसरा नम्बर 49 तादादी 3.35 हैक्टेयर है तथा अप्रार्थीगण के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 52 से उतरी तरफ स्थित है जिस पर प्रार्थीगण का शुरू से आज तक कब्जा काश्त उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक चला आ रहा है।की नकले यह कि प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए राजस्व रिकार्ड व नक्शा अक्स तथा मिलान क्षेत्रफल निकलवाई तब प्रार्थीगण को पता चला कि प्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 45 जिसके नये खसरा नम्बर 49 है को जिसको अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के खेत खसरा नम्बर 52 से पश्चिमी तरफ तथा खसरा नम्बर 48 के दक्षिणी तरफ दर्शा रखा है जो गलत है, जबकि प्रार्थीगण का खेत तो मौका पर अप्रार्थी सं. 2 ता 6 के खेत खसरा नम्बर 52 से उतरी तरफ व खसरा नम्बर 48 के पूर्वी तरफ लम्बाई में स्थित है। सम्वत् 2061 में भू–सेटलमेन्ट विभाग द्वारा पेमाईश कर्मचारियों ने बिना मौका पर गये ही अन्दांजन राजस्व अक्स व राजस्व जमाबन्दी तैयार की है जो मौका व रिकार्ड से विपरीत है जबकि वादगत खेत मौकानुसार व पुराने राजस्व रिकार्ड व अक्स के अनुसार तरमीम होना चाहिए था। परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थीगण को नाजायज नुकशान पंहुचाने के उद्देश्य से राजस्व जमाबन्दी व अक्स में भूमि मौका व रिकार्ड से विपरीत दिशा में दर्शा कर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित की है। प्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 49 मौका पर अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के उतरी तरफ स्थित है जिस पर कब्ज़ा काश्त व उपयोग उपभोग प्रार्थीगण का चला आ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 का खसरा नम्बर 52 प्रार्थीगण से दक्षिणी तरफ स्थित है जिस पर अप्रार्थी सं. 2 ता 6 का कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 49 को पुराने राजस्व अक्स के अनुसार राजस्व नक्शा अक्स में तरमीम व शुद्धि करवाने का कानूनन अधिकारी है। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी खेत के खेत का मौकानुसार राजस्व अक्स में शुद्धिकरण करने का निवेदन अप्रार्थी संख्या 1 से दिनांक 16.08.2013 को किया कि राजस्व कर्मचारियों ने भूलवंश प्रार्थीगण का राजस्व नक्शा अक्स में ख़सरा नम्बर 49 को खसरा नम्बर 52 के पश्चिमी तरफ अंकित कर दिया है जबकि मौका पर हमारा खेत खसरा नम्बर 49 तो खसरा नम्बर 52 के उतरी तरफ व खसरा नम्बर 48 के पूर्वी तरफ लम्बाई में स्थित है। जिस पर हम प्रार्थीगण का आज तक कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक चला आ रहा है तब अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व अक्स में आपके खेत का शुद्धिकरण करना संभव नहीं है व प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

2 ता 6 से भी सहमतिपूर्वक वादगत खेतों का शुद्धिकरण करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 ने भी स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादगत खेत के सम्बन्ध में शुद्धिकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शुद्धि करवाये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खेत खसरा नम्बर 45 जिसके नये खसरा नम्बर 49 तादादी 3.35 हैक्टेयर वाकेरोही शीतलनगर को मौकानुसार व पुराने राजस्व नक्शा के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 52 से उतरी तरफ व खसरा नम्बर 48 के पूर्वी तरफ लम्बाई में दर्शित किया जावे व खेत खसरा नम्बरं 52 को खसरा नम्बर 48 व 49 के दक्षिणी तरफ दर्शित किया जाकर राजस्व अक्स में दुरुस्त करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को दिया जावे और उसकी पालना अप्रार्थी संख्या 1 से करवाई जावे।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। स्टेट की और से पेरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 45 जिसके नये खसरा नम्बर 49 तादादी 3.35 हैक्टेयर वाकेरोही शीतलनगर को मौका कब्जानुसार व पुराने राजस्व नक्शा के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 52 से उतरी तरफ व खसरा नम्बर 48 के पूर्वी तरफ लम्बाई में दर्शित किया जावे व खेत खसरा नम्बरं 52 को खसरा नम्बर 48 व 49 के दक्षिणी तरफ दर्शित किया जाकर राजस्व अक्स दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 20.07.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ